219

दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/1847

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी –दो/17

उत्तम सिंह यादव तनय आशाराम
यादव निवासी ग्राम रामनगर,
तहसील व पोस्ट ओरछा,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

——— अनावेदक

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा
द्वारा आज दि. 21/6/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21/6/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R.V. 21/6/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध कारण बताओ सूचना–पत्र दिनांक 21/12/2015 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ सूचना– पत्र कमांक 04/स्व0 निगरानी/2015–16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 574 कुल रकवा 17.583 हैक्टेयर शासकीय भूमि दर्ज थी जिसमें खसरा नम्बर 574/1 रकवा

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1847 उत्तम विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 04/स्व.निग./2015-16 में पारित कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 21-12-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. [illegible]) सदस्य 20/2/2019	